राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2860/2024

नीलम पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जरिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2024

आदेश की दिनांक : 17.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संतोष कुमार योगी, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हिरनोदा सांभर लेक, जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 03.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति हुई थी और दिनांक 27.09.2018 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रि–परीक्षा परिणाम को दिनांक 28.02.2019 को रि–सफल करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर अपीलार्थी को जयपुर जिला आवंटित हुआ और मई, 2022 में विभाग द्वारा साक्षात्कार

के लिये विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का चयन उपरांत दिनांक 26.07.2022 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के ससुर 70 वर्ष के हैं, जो शुगर की बीमारी से पीडित हैं। घर में अपीलार्थी एकल महिला सदस्य है। अपीलार्थी को प्रतिदिन 110 कि.मी. की दूरी का ड्यूटी के वास्ते सफर करना पडता है, जिसके कारण उसकी रीढ की हड्डी में फैक्चर होने से अपीलार्थी ने ऑपरेशन अजमेर में करवाया। इस प्रकार अपीलार्थी चलने–फिरने में मजबूर है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने नजदीकी पदस्थापन हेतु प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 29.08.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.08.2024 को उसकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुये निस्तारण किया जावे और अपीलार्थी को नजदीक स्थान पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हिरनोदा सांभर लेक, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.08.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अपनी परेशानियों का उल्लेख करते हुये पदस्थापन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका निस्तारण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष